यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 08.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं अ मता गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 16.01.2017 से 21.01.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह, हरिद्वार

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	1968.15
2015-16	1923.26
2016-17	2345.35

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

व्यय: -

राजस्व: - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग.- "अ"

प्रस्तर..01:–स्वतः कर निर्धारण में गलत दर से कर घो षत कये जाने से राजस्व क्षति 6.64 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) (ख) (1) (ई) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अनुसूची मे वर्गीकृत माल से भिन्न माल पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तुओं के लिये 13.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड–4 रुडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री बालाजी ट्रेडिंग कं0 लण्डौर रुडकी टिन सं0 05009153139के कर निर्धारण वर्ष 2013–14 द्वारा स्वतः कर निर्धारण आदेश दिनॉक 14.02.2017 में रु.7807639.00 के रबड स्क्रेप की बिक्री पर पॉच प्रतिशत की दर से कर अदा किया गया **था**, जबकि उक्त वस्तु किसी भी अनुसूची में **शा मल** न होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जाना चाहिये था।

व्यौहारी की संगत वर्ष की पत्रावली पर उपलब्ध विवरण के अनुसार संगत वर्ष में कोल की खरीद शून्य थी प्रारम्भिक अवशेष रु.34782.00 का था। रबर स्क्रेप की खरीद रु.7368140.00 की थी जबकि (प्रपत्र–4 के अनुसार उक्त खरीद रु.7432083.00) की घोषित की गयी थी। कुल बिक्री में से रबर स्केप की बिक्री रु.7807639.00 थी जिस पर अन्तरीय दर 8.5 **प्रतिशत** (13.5–5) से रु.663649. 00(7607639×8.5**प्रतिशत**) कर व्यौहारी पर आरोपणीय था तथा इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिश जारी कर कार्यवाही करके अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयभं अतः **₹6.64 लाख** अनारोपित कर का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–2 "ब"

प्रस्तर.01:–अनियमित छूट दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण .3.14 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 6.क.के अनुसार "यह दावा करने की दशा में कि माल का अन्तरण विक्रय द्वारा किये जाने से अन्यथा किया गया है, सबूत का भार आदि–

जहॉ कोई व्यौहारी यह दावा करता है कि वह किसी माल की बाबत इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार इस आधार पर नही है कि एक राज्य से अन्य राज्य को माल का संचलन उसके द्वारा यथास्थित उसके कारोबार के किसी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या मालिक को ऐसे माल के अन्तरण के कारण, न कि वक्रय के कारण हुआ था, वहां यह साबित करने का भार कि उस माल का संचलन इस भांति हुआ था, व्यौहारी पर होगा, और इस प्रयोजन के लिये वह यथास्थिति कारोबार के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी या अभिकर्ता या मालिक द्वारा सम्यक रुप से भरी गई और हस्ताक्षरित घोषणा , जिसमें विहित व शष्टयाँ विहित अधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप में हो देगा।यदि व्यौहारी ऐसी घोषणा करने में असफल रहता है तो ऐसे माल के संचलन को इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये विक्रय के परिणाम स्वरुप किया गया माना जायेगा।" उक्त घोषणा हेत प्रपत्र एफ का निर्धारित किया गया है, नियमानुसार एक करोड के टर्न ओवर पर बैलेन्सशीट का लगाया जाना अपेक्षित है।

सहायक आयुक्त(करनिर्धारण) खण्ड–4 वाणिज्य कर रुडकी के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री मित्तल कन्सट्रक्शन यूनिट रुडकी। कर निर्धारण वर्ष–2012–13 के करनिर्धारण वाद को आदेश /788/30.07.2016 द्वारा निस्तारित किया गया। व्यौहारी की कर निर्धारण पत्रावली,करनिर्धारण आदेश की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में .12179100.00 का सटरिंग मटेरियल प्रान्त बाहर भेजा गया, जिसमें से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 38 के आधार पर रु.6298600.00 के सटरिंग मटैरियल को प्रान्त से बाहर भेजने पर कर मुक्त कर दिया गया जबकि प्रपत्र एफ द्वारा प्रेषित माल (स्टाक ट्रांस्फर) कर मुक्ति अनुमन्य थी। किन्तु व्यौहारी का टर्नओवर एक करोड से अधिक होने के बाद भी बैलैन्सशीट नही लगायी गयी

अतएव बिना सम्यक घोषणा पत्र के प्रान्त बाहर भेजे गये रु.6298600 की सटरिंग को विक्रय मानते हुये इस पर पॉच प्रतिशत की दर से रु.314930.00(6298600×5) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि रु.6298600.00 के सटरिंग प्रपत्र 38 के माध्यम से वापस किया गयया है,जिसे तत्कालीन करनिर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।उक्त पर कोई करदेयता नही बनती।

संम्प्रेक्षा को करनिर्धारण अधिकारी की उक्त अनियमित टिप्पणी इस आधार पर अस्वीकार है कि स्टाक ट्रान्सफर प्रपत्र एफ के माध्यम से करमुक्त होगी न कि प्रपत्र 38(16) के माध्यम से ।

अतः अनियमित छुट के कारण कम आरोपित कर 3.14 **लाख** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN-2

प्रस्तर.01:–अनियमित आई0टी0सी0 दिये जाने से एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.10 लाख(2607+7801)।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 की उपधारा (xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रुप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स लाभ का दावा करता है तो रु. पॉच हजार या दावाकृत धनराशि का तीन गुना जो अधिक हो अर्थदण्ड देय होगा

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड–4 रुडकी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री कुमार इलैक्ट्रिक स्टोर टिन नं0–05005711773 कर निर्धारण वर्ष 2013–14 स्वतः कर निर्धारण आदेश तिथि 26.12.2016 निस्तारित किया गया था। कर निर्धारण पत्रावली में संलग्न आई0टी0सी0 दावे की सूची के क्रमांक 28 एवं 34 में व्यौहारी सर्वश्री कुमार इलैक्ट्रिक स्टोर ने अपने टिन नं0–05005711773 को अंकित कर ₹ 2607(2533+73) अनियमित इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करके अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः अनियमित इनपुट टैक्स ₹ 2607.00 अनारोपित अर्थदण्ड ₹ 7801.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN

प्रस्तर.02:–कम दर से कर के आरोपण के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.09 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) (ख) (1) (ई) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अनुसूची मे वर्गीकृत माल से भिन्न माल पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तुओं के लिये 13.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड–4 रुडकी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री अक्षिता इण्टरप्राइजेज रुडकी TIN 05007682619 के करनिर्धारण वर्ष 2013–14 को आदेश धारा 25(7) के अन्तर्गत दिनॉक 30.03.2017 को निस्तारित किया गया था। व्यौहारी की करनिर्धारण पत्रावली तथा उसके साथ संलग्न विवरण के अनुसार संगत वर्ष में प्लाइउड की बिक्री ₹ 110964.00 पर 5प्रतिशत की दर से ₹ 55481.00 कर आरोपित व अदा किया गया। पत्रावली व संलग्न विवरण के अनुसार प्लाइउड न तो व्यौहारी के आरम्भिक स्टाक में था और न ही प्लाइउड की संगत वर्ष में खरीद की गयी। संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा बुंडेन मोल्डिंग की खरीद व बिक्री की गयी फलतःअनियमित कर दर की मान्यता देने के कारण 8.5(13.5–5) की दर से अन्तरीय कर ₹ 9432(110964×8.5) अनारोपित रह गया। नियमानुसार उक्त पर अर्थदण्ड भी देय होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर कार्यवाही करके अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः ₹ 9432.00 अनारोपित कर तथा अनारोपित अर्थदण्ड का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-46/2015-16	01,02	01,02
CT-37/2016-17	01	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.के. संह	सहायक आयुक्त
(ii)	सुश्री पूनम	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-**IV** रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र